समक्ष दि० 16.11.-21 को पेश होवे

16/11/22 पत्रावली पेश हुयी। कोई भी
उपस्थित नहीं आया। वादी की तलबी
हेतु व मय्सर तलबाना के लिए काफी
अवसर दिये जाने के बावजूद वादी उप
न्यायालय आदेशो की पालना नही की
जा रही है। वादी द्वारा न्यायालय के आदेश
की पालना नही करने से पत्रावली 09 R 05
के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली जाब्ता [illegible]
हुक्म होकर नाजर [illegible] हो। बाद तामील दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
ब[illegible] ([illegible]) राज०